ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292, REG. No.: 561/2013-2014 Vol.-2, No.-2, **PP-139-144**,YEAR-2015

महाविद्यालयी छात्रों की राजनीतिक अभिरुचि

(उत्तराखण्ड सीमान्त जनपद चमोली के महाविद्यालयी छात्रों का एक अध्ययन)

❑ **डॉ0 जगमोहन सिंह नेगी**

सारांश– *लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था की सफल के लिए समाज के हर वर्ग की राजनीतिक गतिविधियों में अभिरुचि का होना अनिवार्य है। क्योंकि जिस समाज के लोग राजनीति में जितनी अधिक अभिरुचि प्रकट करेगें उस समाज की शासन व्यवस्था उतनी ही अधिक सफल मानी जा सकती है और उस समाज के मनुष्यों में राजनीतिक संज्ञान उतना ही अधिक होगा। ऐसे में समाज के युवा छात्रों की राजनीति अभिरुचि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज का छात्र काल का भविष्य है। साथ ही युवा छात्र समाज में अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक शिक्षित होने के साथ–साथ अधिक ऊर्जावान भी है। यदि यह वर्ग अपने अध्ययन काल की अवधि से ही राजनीतिक गतिविधियों में अभिरुचि रखें तो आने वाले समय में या अध्ययन पूर्ण होने के उपरान्त उसे राजनीति में अपनी भागीदारी का निर्वहन करने में संभवतः अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड सकता है। यही नहीं राजनीतिक अभिरुचि से जहां एक ओर उनमें निर्णय करने जैसे गुणों का विकास सम्भव है, वहीं दूसरी ओर राजनीति का संज्ञान भी उनमें देखने को मिलता है। प्रस्तुत शोध पत्र में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि महाविद्यालयी छात्र/छात्राओं की राजनीति में अभिरुचि का स्तर क्या है? अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक गतिविधियों में अधिकांश छात्र एवं छात्राओं की राजनीतिक अभिरुचि सकारात्मक है। क्योंकि अध्ययनकाल की अवधि में छात्र अपने भविष्य को लेकर चिन्तति रहता है और वे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, जिस कारण न चाहते हुए भी उनको राजनीति में अपनी अभिरुचि रखनी पड़ती है। लेकिन अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि छात्राओं की अपेक्षा छात्रों की राजनीतिक अभिरुचि का स्तर उच्च है। छात्राओं के सम्मुख यह समस्या है कि वह अपने पारिवारिक एवं सामाजिक वातारण से प्रभावित रहती हैं, जिस कारण वे राजनीति में छात्रों के समान अपनी अभिरुचि प्रकट करने में सफनल नहीं हो पाती हैं।*

मनुष्य एक क्रियाशील, चेतन एवं बुद्धिमान प्राणी है। उसकी स्वयं की इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं, जिन्हें इच्छा, रुचि जिज्ञासा अथवा अभिरुचि कहा जा सकता है। राजनीतिक अभिरुचि मानव की राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। राजनीतिक अभिरुचि के अभाव में मानव की राजनीतिक जागरुकता का स्तर स्वाभाविक रूप से न्यून हो जाता है। मानव का राजनीतिक व्यवहार निश्चित रूप से उसकी जागरुकता के साथ–साथ उसकी अभिरुचियों द्वारा भी निर्देशित होता है। यही नहीं जहां एक ओर राजनीति में अभिरुचि रखने वाले मनुष्य की राजनीतिक सहभागिता प्रभावित होती है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय पाये जाते हैं। वस्तुतः जो व्यक्ति राजनीति या राजनीतिक गतिविधियों में अत्यधिक दिलचस्पी या रुचि रखता है, उसकी राजनीतिक अभिरुचि का स्तर उच्च हो सकता है।[1] इस प्रकार मानव का राजनीतिक संज्ञान एवं राजनीतिक भागीदारी का स्तर बहुत कुछ उसकी राजनीतिक अभिरुचि पर निर्भर करती है। मानव की अभिरुचि एक बड़ी सीमा तक उसके सोचने विचारने के ढंग, व्यवहार व उपलब्धियों का सीमांकन करती है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना सफल रहेगा एवं किस प्रकार सामाजिक भूमिका निभायेगा। यह उसकी अभिरुचिपूर्ण क्षमताओं पर निर्भर करती है। व्यक्ति की संवेदनशीलता एवं अनुभूति क्षमता भी उसकी

राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपश्वर, चमोली (उत्तराखण्ड) भारत

अभिरुचि पर आश्रित हैं। राजनीतिक व्यवस्था जो सामाजिक व्यवस्था का एक अंग मात्र है, अभिरुचि के इस व्यापक प्रभाव से अछूती नहीं रह सकती है। आज के छात्र कल के नागरिक हैं। निश्चय ही छात्र भावी नागरिकों के सम्पूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, परन्तु वह बौद्धिक दृष्टि से इस वर्ग के अभिजन कहे जा सकते हैं। शिक्षा बौद्धिकता के विकास का आधार है। यह सत्य है कि मानसिक क्षमताएं मात्र शिक्षा द्वारा सृजित नहीं होती हैं, परन्तु इसके विकास में शिक्षा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा के प्रकाश से लाभान्वित छात्रों में इतनी बौद्धिक क्षमता अवश्य विकसित हो जाती है कि वह निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग ले। यह बौद्धिकता राजनीतिक संदर्भ में उनकी राजनीतिक अभिरुचि के रूप में अभिव्यक्त होती है।

राजनीतिक अभिरुचि के अन्तर्गत राजनीति से सम्बन्धित विषयों के प्रति आकर्षण, राजनीतिक मामलों में दिलचस्पी, राजनीति के प्रति झुकाव या लगाव आदि बातें सम्मिलित होती हैं।[2] किसी भी व्यवस्था का भविष्य उसमें निरन्तर नवीन कर्त्ताओं के सम्मिलित होने पर निर्भर करता है। इस तथ्य के संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था कोई अपवाद नहीं है। प्रजातांत्रिक परिप्रेक्ष मैं जैसे–जैसे नयी पीढ़ी के नागरकि उभरते हैं, वैसे–वैसे पुरानी पीढ़ी के नागरिक मंच से हटते जाते हैं। धीरे–धीरे यह नये नागरिक मुख्य कर्त्ता बन जाते हैं एवं व्यवस्था के दिशा निर्देशकों का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन यह तभी संभव है, जब उनमें राजनीतिक अभिरुचि होती है। राजनीति एक सर्वव्यापी गतिविधि है, जिसमें अभिरुचि की दृष्टि से व्यक्ति, व्यक्ति में अन्तर पाया जाता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधियों में एक समान जिज्ञासा नहीं होती है। व्यक्ति की रुचि परिवर्त्य, अभिकरणों व सिद्धान्तों पर निर्भर करती है। अभिरुचि के परिवर्त्यों, अभिकरणों में राजनीतिक अभिरुचि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। उन्हीं परिवर्त्यों के कारण व्यक्ति की अभिरुचि घटती–बढ़ती रहती है। ऐसे परिवर्त्यों एवं अभिकरणों में आधुनिक संचार सधानों का प्रयोग राजनीतिक दृष्टिकोण से करना, टी0वी0 एवं अन्य संचार साधनों पर राजनीतिक चर्चा सुनाना, आपस में राजनीतिक चर्चा करना, राजनीतिक संगोष्ठियों में जानने की इच्छा रखना, राजनीतिक रैली, जुलूस प्रदर्शन को देखना, महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करना, राजनेता से भेंट करना या राजनेता से दोस्ती बनाने का प्रयास करना, नेताओं के भाषणों को सुनना, राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली एवं संगठन पर विचार करना, छात्रसंघ चुनावों के अवसर पर महाविद्यालयों में रहना और उनकी गतिविधियों को देखना, राजनीतिक घटनाओं से सम्बन्धित समाचार पत्र–पत्रिकाओं को पढ़ना आदि सम्मिलित होते हैं। इन्हीं के आधार पर उसकी राजनीतिक अभिरुचि का पता चलता है।

उत्तराखण्ड राज्य में जनपद चमोली के छात्रों की राजनीतिक अभिरुचि में वर्तमान तथा आजादी से पूर्व की स्थिति में पर्याप्त अन्तर देखने को मिलता है। आजादी से पूर्व जनपद चमोली कई वर्षों तक पहले राजतन्त्रात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत शासित रहा और उसके बाद ब्रिटिश शासन के अधिकार क्षेत्र में आया। फलतः जनपद के नागरिकों में राजनीतिक अभिरुचि का समुचित विकास नहीं हो पाया। लेकिन युगान्तर के इतिहास ने करवट बदली। पाश्चात्य जगत में आधुनिकता की जिन प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव अट्ठारहवीं सदी में हुआ था, वे न केवल यूरोप को अपितु, विश्व के अन्य देशों में भी प्रसार करने लगी। भारत भी इन प्रवृत्तियों के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य साहित्य से परिचय होने के कारण भारत में इन प्रवृत्तियों को बल मिला। धार्मिक सुधार, सामाजिक कुरीतियों के निवारण से भारत के प्राचीन गौरव का ज्ञान और नई शिक्षा द्वारा जो नवजागरण हुआ, उससे राजनीतिक क्षेत्र में अभूतपूर्व संज्ञान उत्पन्न हुआ।[3] फलस्वरूप भारतीय जनता में ही नहीं, उत्तराखण्ड की जनता में भी राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव हुआ।[4] जिस कारण यहां की जनता ने आजादी के आन्दोलन में बढ़–चढ़ कर अपनी अभिरुचि का परिचय दिया तथा उसका प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव जनपद चमोली के छात्रों की अभिरुचि पर भी पड़ा।

आजादी के बाद उत्तराखण्ड में ही नहीं, जनपद चमोली में भी स्थापित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों, विद्यालयों, यातायात तथा संचार सधानों

के विकास ने छात्र समुदाय में अभूतपूर्व राजनीतिक अभिरुचि को उत्पन्न किया। देश में लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू होने से शासन में छात्रों की राजनीतिक अभिरुचि का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा स्वाभाविक रूप से शासकीय कार्यों में छात्रों की अभिरुचि को भी प्रोत्साहन मिला। 1989 में 61 वें (वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गयी) संविधान संशोधन लागू होने के बाद राजनीतिक गतिविधियों में युवा वर्ग विशेष रूप से छात्र वर्ग की राजनीतिक अभिरुचि पर व्यापक प्रभाव देखने को मिला। परिणाम स्वरूप स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय घटनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी के प्रति छात्रों का आकर्षण बढ़ा और स्वतः उनके राजनीतिक अभिरुचि के स्तर में वृद्धि हुई।

वर्तमान समय में स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की राजनीतिक गतिविधियों में छात्रों की बढ़ती राजनीतिक अभिरुचि, क्षेत्र में स्थानीय मुद्दों को लेकर समय–समय पर क्षेत्रीय जनता के द्वारा जो आन्दोलन अथवा संघर्ष किया जाता है। यहां के छात्रों ने उत्तराखण्ड पृथक राज्य स्थापना आन्दोलन हो या फिर पर्यावरण संरक्षण हेतु उपजा चिपको आन्दोलन या शराब विरोधी आन्दोलन, हर एक आन्दोलन में बढ़–चढ़ कर अपनी अभिरुचि को प्रकट किया है।

आन्दोलन में अभिरुचि से न केवल छात्रों में राजनीतिक चेतना, संज्ञानता, जागरूकता का विकास हुआ, बल्कि उनमें राजनीतिक जनसर्म्पक, वार्तालाप तथा अपनी मांगों को प्रभावशाली तरीकों से प्रस्तुत करने व मानवाने जैसे अनेक राजनीतिक गुणों या अनुभवों का विकास भी हुआ। जिस कारण छात्र क्षेत्रीय हितों व क्षेत्रीय राजनीति के प्रति सचेत भी हुए। इतना ही नहीं प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर उनके क्षेत्रीय हितों पर कितनी गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया जाता है। इस सम्बन्ध में उन्हें चिन्तन करने की प्रेरणा भी प्राप्त हुई। धरना, जुलूस, प्रदर्शन, रैली, अनशन, क्रमिक अनशन की परिभाषा से यहां का छात्र परिचत हुआ। क्योंकि इससे पूर्व यहां का छात्र इन हत्कण्ड़ों से इतनी अच्छी तरह से परिचित नहीं था। जिस कारण आज उनमें एक नयी चेतना का आभास होता है, जो राजनीतिक अभिरुचि की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

आज राजनीतिक गतिविधियों एवं क्रिया–कलापों, दलीय राजनीतिक गतिविधियों, स्थानीय राजनीतिक दलों, संस्थाओं आदि में छात्रों की अभिरुचि में वृद्धि हुई। त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर पंचायतों में छात्रों की अत्यधिक मात्रा में अभिरुचि का होना एक सीमा तक आन्दोलन की ही प्रेरणा शक्ति है। छात्र ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य से लेकर नागरपालिकाओं में भी महत्वपूर्ण पदों पर भी आज अपनी अभिरुचि को जाहीर करते हैं। विधान सभा से भी छात्रों को भली–भांति परिचित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज इस राजनीतिक संस्था में कई छात्र स्वयं दावेदारी कर रहे हैं। प्रचारक दल का नेतृत्व भी कई छात्र करते हुए देखे जा सकते हैं। चुनाव सभाओं, जनसभाओं में आज यहां का छात्र अपनी अभिरुचि प्रकट कर रहें हैं। कुल मिला कर अभिरुचि से उनमें स्वतन्त्र निर्णय क्षमता, नेतृत्व क्षमता, प्रतिनिधि क्षमता, संज्ञानता जैसे गुणों का विकास प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, जो राजनीतिक अभिरुचि के दृष्टिकोण से अनिवार्य समझे जाते हैं।

छात्रों की बढ़ती राजनीतिक अभिरुचि को देखते हुए उनके राजनीतिक अभिरुचि का मूल्यांकन करने का प्रयास प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया कि महाविद्यालयी छात्रों की राजनीतिक गतिविधियों में अभिरुचि क्या है? क्या छात्र तथा छात्राओं के राजनीतिक अभिरुचि के स्तर में अन्तर है अथवा नहीं? इस तथ्य की जानकारी हेतु उपलब्ध सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन भी किया गया। हालांकि महिलाओं या समाज के अन्य वर्गों की राजनीतिक अभिरुचि पर अनुसन्धानकर्ताओं द्वारा अवश्य अनेक शोध कार्य किये गये हैं। लेकिन छात्रों की राजनीतिक अभिरुचि पर वह भी जनपद चमोली से सन्दर्भित अध्ययन अभी तक किसी अध्येयता द्वारा नहीं किया गया है। अतः अध्येयता को कोई भी अध्ययन ऐसा प्राप्त नहीं हुआ, जिसमें महाविद्यालयी छात्रों की राजनीतिक अभिरुचि से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया हो। इसी कमी की पूर्ति हेतु प्रस्तुत अध्ययन किया गया है और अध्ययन क्षेत्र के रूप में सीमान्त जनपद चमोली के महाविद्यालयों के छात्रों को चयनित किया गया।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय– जनपद चमोली उत्तराखण्ड का एक सीमान्त जनपद है। इसकी सीमा चीन देश से लगी हुई है। आजादी से पूर्व यह जनपद पौड़ी जनपद का एक तहसील मात्र था। लेकिन प्रशासनिक सुविधा एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र होने के कारण 24 फरवरी, 1960 को केन्द्रीय सरकार ने इसे अलग जनपद का दर्जा प्रदान किया। जनपद चमोली में हिमाच्छादित ऊंचे–ऊंचे पर्वत शिखर, उन पर सुशोभित हिमानियां और इन हिमानियों से झरते झरने, निकलती नदियां, नदियों से बनती घाटियां विश्व प्रसिद्ध हैं। यहां भगवान श्री बदरी नारायण, रुद्रनाथ कल्पेश्वर, मां अनसूया आदि शैव, वैष्णव एवं शाक्त सम्प्रदायों से सम्बन्धित विश्व प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल हैं। नन्दा देवी राज जात जैसी धार्मिक यात्राओं के अतिरिक्त फूलों की घाटी, विश्व प्रसिद्ध स्कीकिंग क्षेत्र औली, वेदनी बुग्याल आदि पर्यटन स्थल भी अवस्थित हैं, जिस कारण यह जनपद उत्तराखण्ड में ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण देश में तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों के लिए पूर्व समय से आकर्षण का केन्द्र है।

वर्तमान में जनपद चमोली कुल 9 विकासखण्डों से मिलकर बना हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 7626 वर्ग कि.मी. है तथा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 391114 है, जिसमें से 193572 पुरुष तथा 197542 महिलाएं हैं। कुल साक्षरता 83.48 प्रतिशत है। जिनमें से 94.18 प्रतिशत पुरुष तथा 73.20 प्रतिशत महिलाएं हैं। कुल लिंगानुपात 1021/1000 है। उच्च शिक्षा के लिए जनपद में में 6 राजकीय महाविद्यालय तथा 7 मान्यता प्राप्त संस्त महाविद्यालय हैं, जिनमें पर्याप्त मात्रा में जनपद तथा जनपद के बहार के छात्र/छात्राएं अध्यनरत् हैं।

अध्ययन के उद्देश्य– महाविद्यालयी छात्र/छात्राओं की राजनीतिक अभिरुचि का मूल्यांकन करना। महाविद्यालयी छात्र/छात्राओं की राजनीतिक अभिरुचि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना–महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की राजनीतिक अभिरुचि में अन्तर है। महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की राजनीतिक अभिरुचि का तुलनात्मक अध्ययन में अन्तर है।

अनुसन्धान प्रविधि– प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु सामाजिक अनुसन्धान की वैज्ञानिक पद्धति को प्रयोग में लाया गया है। अध्ययन इकाई के चयन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के सीमान्त जनपद चमोली में 12 महाविद्यालयों में से 06 महाविद्यालयों का लॉटरी पद्धति द्वारा चयन किया गया तथा प्रत्येक महाविद्यालय से 25 छात्र तथा 25 छात्राओं कुल मिलाकर 300 छात्र/छात्राओं का यादृच्छिक न्यादर्शन (देव निदर्शन) तकनीकी द्वारा साक्षात्कार के लिए चयन किया गया। साक्षात्कार अनुसूची द्वारा चयनित छात्र/छात्राओं का साक्षात्कार लिया गया और उनसे प्राप्त तथ्यों को प्रकाशित करने योग्य बनाने के लिए प्रतिशत विधि को प्रयोग में लाया गया है, जिससे स्पष्ट निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया है।

विश्लेषण, व्याख्या, परिणाम और सुझाव–प्रस्तुत शोध पत्र में उल्लेखित अध्ययन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साक्षात्कार की अवधि में चयनित न्यादर्श छात्र एवं छात्राओं से राजनीतिक अभिरुचि को स्पष्ट करने वाले प्रश्न पूछे गये। इस सम्बन्ध में शोध साक्षात्कार अनुसूचित में आधुनिक संचार सधानों का प्रयोग राजनीतिक दृष्टिकोण से करना, टी0वी0 एवं अन्य संचार साधनों पर राजनीतिक चर्चा सुनाना, आपस में राजनीतिक चर्चा करना, राजनीतिक संगोष्ठियों में जानने की इच्छा रखना, राजनीतिक रैली, जुलूस प्रदर्शन को देखना, महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करने की इच्छा प्रकट करना,, राजनेता से भेंट करना या राजनेता से दोस्ती बनाने का प्रयास करना, नेताओं के भाषणों को सुनना, राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली एवं संगठन पर विचार करना, छात्रसंघ चुनावों के अवसर पर महाविद्यालयों में रहना और उनकी गतिविधियों को देखना, राजनीतिक घटनाओं से सम्बन्धित समाचार पत्र–पत्रिकाओं को पढ़नें से सम्बन्धित प्रश्न छात्र एवं छात्राओं से पूछे गये। इस सम्बन्ध में छात्र एवं छात्राओं की जो प्रतिक्रिया रही है, उसका उल्लेख सारिणी संख्या–01 में किया गया है।

सारिणी संख्या –01
महाविद्यालयी छात्र एवं छात्राओं की राजनीतिक अभिरुचि

क्र. सं.	राजनीतिक अभिरुचि के तथ्य	राजनीतिक अभिरुचि रखने वाले						राजनीतिक अभिरुचि न रखने वाले					
		छात्र	प्रतिशत	छात्रा	प्रतिशत	कुल	कुल प्रतिशत	छात्र	प्रतिशत	छात्रा	प्रतिशत	कुल	कुल प्रतिशत
1.	आधुनिक संचार साधनों का प्रयोग	137	91.33	125	83.33	262	87.33	13	08.67	25	16.67	38	12.67
2.	टी0वी0 पर राजनीतिक चर्चा सुनना	132	88.00	111	74.00	243	81.00	18	12.00	39	26.00	57	19.00
3.	राजनीतिक संगोष्ठियों में जानने की इच्छा	140	93.33	113	75.33	253	84.33	10	06.67	37	24.67	47	15.67
4.	आपस में राजनीतिक चर्चा करना	142	94.67	118	78.67	260	86.67	08	05.33	32	21.33	40	13.33
5.	राजनीतिक रैली, जुलूस प्रदर्शन को देखना।	145	96.67	137	91.33	282	94.00	05	03.33	13	8.67	18	06.00
6.	महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विषय पढने की इच्छा प्रकट करना	124	82.67	123	82.00	247	82.33	26	17.33	27	18.00	53	17.67
7.	राजनेता से भेंट करना	127	84.67	121	80.67	248	82.67	23	15.33	29	19.33	52	17.33
8.	नेताओं के भाषणों को सुनना	142	94.67	136	90.67	278	92.67	08	05.33	14	09.33	22	07.33
9.	राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली एवं संगठन पर विचार करना	131	87.33	117	78.00	248	82.67	19	12.67	33	22.00	52	17.33
10.	छात्रसंघ चुनावों को देखना	145	96.67	144	96.00	289	96.33	05	03.33	06	04.00	11	03.67
11.	राजनीतिक घटनाओं से सम्बन्धित समाचार पत्र–पत्रिकाओं को पढ़ने	143	95.33	138	92.00	281	93.67	07	04.67	12	08.00	19	06.33
	समग्र रूप से राजनीतिक अभिरुचि रखने वाले छात्र/छात्रा	**1508**	**91.39**	**1383**	**83.82**	**2891**	**87.61**						
	समग्र रूप से राजनीतिक अभिरुचि न रखने वाले छात्र/छात्रा							**142**	**08.61**	**267**	**16.18**	**409**	**12.39**

सरिणी 01 से स्पष्ट है कि अधिकांश छात्र/छात्राओं द्वारा समग्र रूप से राजनीतिक अभिरुचि को प्रकट किया जाता है, जबकि मात्र 12.39 प्रतिशत छात्र/छात्राएं ही समग्र रूप से राजनीति में अभिरुचि नहीं रखते हैं। सारिणी 01 से यह भी स्पष्ट होता है कि छात्राओं की अपेक्षा छात्रों का समग्र रूप से राजनीति में अभिरुचि का दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक है। अतः छात्र एवं छात्राओं की राजनीतिक अभिरुचि के स्तर में अन्तर है।

वस्तुतः महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों का लक्ष्य मात्र अध्ययन करना है, तथापि कुछ प्रतिशत छात्रों का यह कहना कि वे राजनीतिक गतिविधियों में अभिरुचि भी रखते हैं तो यह तथ्य राजनीति का महाविद्यालयों में बढ़ती घुसपैठ को प्रदर्शित करता है। साथ ही यह शिक्षण संस्थाओं में छात्रों की राजनीतिक गतिविधियों की बढ़ती प्रवृत्ति को भी इंगति करता है। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि छात्रों में राजनीतिक अभिरुचि की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ छात्राओं की राजनीतिक अभिरुचि का स्तर निम्न है। आज महिलाओं को जहां राजनीतिक संस्थाओं में खासकर पंचायती राजव्यवस्था और अब लोक सभा व विधान सभा में भी आरक्षण देने की बात हो रही है, पर उनमें उतनी अभिरुचि राजनीति के प्रति नहीं देखने को मिल रही है, जितनी पुरुष वर्ग में देखने को मिलती है। यही कारण है कि छात्राओं में भी बहुत कम प्रतिशत उत्तरदात्रीयों की राजनीतिक में अभिरुचि के सम्बन्ध में मौन स्वी.ति का अभिमत अभी भी यह प्रदर्शित करता है कि छात्राएं अपनी महिला प्र.ति के अनुरूप अध्ययन कार्य को निर्दिष्ट रूप से करने में अधिक प्रतिबद्ध होने के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक परिवेश के दायित्वों एवं प्रथाओं, कुप्रथाओं, रूढ़िवादी परम्पराओं के प्रभावों में हैं। जिस कारण वे राजनीतिक अभिरुचि के सम्बन्ध में ज्यादा सकारात्मक नहीं पायी गयी हैं। छात्राओं की राजनीतिक अभिरुचि को सकारात्मक बनाने के लिए उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थितियां सहित रूढ़िवादी

परम्पराओं को सामाजिक चेतना एवं जन जागरूकता अभियानों द्वारा दूर किया जाना आवश्यक है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि अधिकांश छात्रों को अध्ययन काल में भविष्य की अनिश्चितता सताती है। कई छात्रों में हीन भावना भी घर जाती है। क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें रोजगार के अवसर शायद ही उपलब्ध हो पायेगें। इससे न केवल राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उनके मन में असन्तोष पैदा होता है, बल्कि राजनीतिक अभिरुचि के प्रति भी उनमें उदासीनता देखना को मिलती है। इस उदासीनता को समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम इस प्रकार संचालित किये जाने की आवश्यकता है, जिससे कि न केवल अध्ययन के प्रति छात्रों में अभिरूचि पैदा हो, बल्कि राजनीतिक गतिविधियों में भी वे प्रसन्नता से अपनी अभिरुचि प्रकट करने में सक्षम हो सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भुवनेश्वर नारायण अग्रवालः राजनीतिक समाज शास्त्र विताब महल इलाहाबाद 1982 पृ.सं. 117
2. चार्ल्स ई. मेरियम : राजनीति के नये सन्दर्भ, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, उत्तर प्रदेश, 1972 पृ.सं. 121
3. सत्यकेतु विद्यालंकरः भारतीय संस्ति और उसका इतिहास, सरस्वती सदन दिल्ली, 1974, पृ.सं. 651
4. सुरशे चन्दोला : स्वतन्त्रता संग्राम और गढ़वाल, अंकिता प्रकाशन, पौड़ी गढ़वाल, 1996, पृ.सं. 1

*****